भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2403

(जिसका उत्तर सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

2403. श्री प्रतापराव जाधव:

श्री रवि किशन:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

श्री मनोज तिवारी:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री सुब्रत पाठक:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विनियमों में ढील देने तथा अवसंरचनात्मक निवेश को बढ़ावा देने और उत्पादन संपृक्त प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं विवेकाधीन खपत में वृद्धि करने और कम ब्याज द्वारा विकास को आगे बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार कोविड-19 और वैश्विक आर्थिक संकट के कारण लंबे समय से बाधित आपूर्ति और आदान लागत में बढ़ोत्तरी से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी बाधाओं को हल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा महंगे खाद्य तेल और धातु उत्पाद अभी भी बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां बने हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा जीडीपी के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी बाधाओं का मुकाबला करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ), अक्तूबर, 2021 के अनुसार, भारत 2021-22 में 9.5 प्रतिशत और 2022-23 में 8.5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के साथ दोनों वर्षों की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक बढोत्तरी का अनुमान है। आरबीआई के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी 9.5 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।

(ख): सरकार ने निवेश और जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में कई बड़े सुधारों को लागू किया है। सरकार ने दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) अधिनियमित की और बैंकों का पुनर्पूंजीकरण किया। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में अप्रत्यक्ष कराधान शासन को आसान बनाना, घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और जन-धन-आधार- मोबाइल (जेएएम) का उदारीकरण, अधिक पारदर्शिता के लिए ट्रिनिटी, दक्षता और वित्तीय समावेशन के साथ–साथ अन्य उपाय भी किए हैं। सितंबर, 2019 में नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया, जो विश्व में सबसे कम है। दिसंबर 2019 में, सरकार ने 103 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की घोषणा की, जो अर्थव्यवस्था में अवसंरचना और प्रोत्साहन विकास मनोवेग को बढ़ावा देगी।

अर्थव्यवस्था पर महामारी से हुए नुकसान को सीमित करने और वित्त वर्ष 2020-21 में आर्थिक विकास की त्वरित वसूली शुरू करने के लिए, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) द्वारा घोषित उपायों

सहित आत्म निर्भर भारत (एएनबी) के तहत 29.87 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। एएनबी पैकेज के भाग के रूप में संरचनात्मक सुधार की भी घोषणा की गई जिसमें परस्पर किसी क्षेत्र का अविनियमन, एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन, नई पीएसयू नीति, कोयला खदानों का वाणिज्यीकरण, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में उच्च एफडीआई सीमा, औद्योगिक भूमि/लैंड बैंक और औद्योगिक सूचना प्रणाली का विकास, सामाजिक अवसंरचना हेतु व्यवहार्यता अंतराल निधियन योजना में सुधार, नई विद्युत प्रशुल्क नीति और क्षेत्र सुधारों को आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना शामिल है। कोविड-19 से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों के लिए संपार्श्विक मुक्त गारंटीकृत ऋण प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) शुरू की गई थी।

केंद्रीय बजट 2021-22 में व्यापक और समावेशी आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई थी। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, पूंजीगत व्यय में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि और स्वास्थ्य व्यय में 137 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। भारत की उत्पादन क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले 13 सूत्रीय क्षेत्रों के लिए उत्पादन संपृक्त प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये (26 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक) एक प्रारूप की घोषणा की गई। सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने और विकास और रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए जून 2021 में 6.29 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की भी घोषणा की थी।

(ग) से (च): आईएमएफ वैश्विक वस्तु मूल्य सूचकांक के अनुसार, नवंबर 2021 में सभी वस्तु सूचकांक की तुलना में वैश्विक मुद्रास्फीति 183.3 के उच्च स्तर पर बनी हुई है, जो नवंबर 2020 में 115 से काफी अधिक है। आधारभूत धातु, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला जैसी इनपुट सामग्री सहित सभी वस्तुओं के मूल्य सूचकांकों के रुझान नीचे तालिका में दिए गए हैं।

आईएमएफ वस्तुएं मूल्य सूचकांक					
माह	**सभी वस्तुएं**	**आधारभूत धातुएं**	**कच्चे तेल का मूल्य**	**प्राकृतिक गैस का मूल्य**	**कोयले का मूल्य**
जनवरी-20	119.6	133.4	145.1	76.9	119.2
फरवरी-20	111.0	126.0	126.5	61.6	114.7
मार्च-20	93.8	120.1	76.2	60.0	101.2
अप्रैल-20	83.9	115.2	50.4	48.7	87.5
मई-20	91.3	121.6	72.3	43.6	80.5
जून-20	99.8	132.1	92.8	43.4	81.6
जुलाई-20	102.9	139.2	98.1	45.9	78.4
अगस्त-20	108.8	148.9	99.9	67.1	79.4
सितंबर-20	108.3	152.2	93.3	75.9	81.9
अक्तूबर-20	110.6	151.2	91.6	93.4	87.1
नवम्बर-20	115.0	158.3	96.9	102.1	98.9
दिसंबर-20	125.4	179.9	110.1	130.6	127.8
जनवरी-21	137.4	189.7	120.3	182.9	135.0
फरवरी-21	140.5	193.5	136.3	146.9	133.7
मार्च-21	141.4	199.0	145.1	110.6	141.7
अप्रैल-21	144.9	207.9	142.9	126.1	141.6
मई-21	155.6	229.7	149.7	152.3	156.4
जून-21	161.9	237.4	162.3	176.1	183.9
जुलाई-21	166.1	237.8	167.1	209.9	205.2
अगस्त-21	163.8	212.3	157.2	246.1	231.3
सितंबर-21	172.8	191.5	166.2	345.3	260.6
अक्तूबर-21	192.4	195.7	188.5	458.5	338.1
नवम्बर-21	183.8	179.5	184.6	418.7	235.6
स्रोत:आईएमएफ प्राथमिक वस्तु मूल्य					

घरेलू मूल्यों पर उच्च वैश्विक इनपुट लागत मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

कच्चा तेल/पेट्रोलियम उत्पाद: पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दिनांक 04.11.2021 से क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कमी की है। इसके परिणामस्वरूप, कई राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर भी कम किया है। इसके फलस्वरूप, पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में गिरावट आई है। भारत ने मूल्य नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त उपाय के रूप में अपने महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल जारी करने की अनुमति दे दी है। यह निर्गमन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीनी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य सहित अन्य प्रमुख वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ताओं के समानांतर परामर्श से किया जाएगा।

आवश्यक वस्तुएं: प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति की सरकार द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और समय-समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

दलहन: दलहन में मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: (i) वर्ष 2021-22 के लिए 23 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के बफर स्टॉक लक्ष्य को मंजूरी दी गई है। स्टॉक को बाद में खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से कीमतों को स्थिर करने के लिए उपयोग किया जाता है (ii) जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने जुलाई 2021 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कुछ दलहन पर स्टॉक सीमा भी लगाई है। (iii) दिनांक 31 दिसंबर, 2021 तक तूर और उड़द को 'नि:शुल्क' श्रेणी में रखते हुए आयात नीति में बदलाव किया है। (iv) मसूर पर मूल आयात शुल्क और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को क्रमश: शून्य और 10% तक लाया गया है। (v) इसके अतिरिक्त, म्यांमार के साथ उड़द के 2.5 एलएमटी और 1 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और मलावी के साथ 0.50 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात और मोजाम्बिक के साथ 2 एलएमटी तूर के आयात को और 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

खाद्य तेल: खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए खाद्य तेलों पर प्र:शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है और जमाखोरी से बचने हेतु दिनांक 31 मार्च, 2022 की अवधि तक स्टॉक सीमा लगाई गई है। पाम तेल के घरेलू उत्पादन और उपलब्धता को प्रोत्साहित करने के लिए 11,040 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय सहित राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- पाम तेल को मंजूरी दी गई है।

****